भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. 21*

19 नवंबर, 2019 को उत्तरार्थ

विषय: किसानों की आय को 2022 तक दोगुना करना

***21. श्री बी.एन. बचेगौडाः**

श्री एंटो एन्टोनीः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को देश में किसानों की दुर्दशा की जानकारी है और यदि हां, तो सरकार द्वारा उनकी आय में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं;

(ख) क्या सरकार ने किसानों की आय को वर्ष 2022 तक दोगुना करने का कोई लक्ष्य निर्धारित किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं तथा उक्त लक्ष्य हासिल करने में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ग) क्या सरकार एक अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत सभी कृषि भूमिधारकों को 3000/-रुपये की राशि प्रदान करेगी, यदि हां, तो क्या सरकार को यह जानकारी है कि देश में अनेक कृषि भूमिधारक स्वयं खेती न करने वाले किसान हैं और इस योजना के पात्र नहीं हैं;

(घ) यदि हां, तो सरकार यह किस प्रकार सुनिश्चित करेगी कि न केवल स्वयं खेती न करने वाले किसानों की आय में वृद्धि हो अपितु वास्तविक किसानों की आय में भी वृद्धि हो;

(ङ) क्या सरकार के पास उक्त योजना आरंभ होने के उपरांत से लाभान्वित किसानों की संख्या का ब्यौरा है, यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या कृषि विकास अर्थव्यवस्था के विकास की तुलना में कम है और राष्ट्रीय उत्पादन में कृषि की हिस्सेदारी 1950 के दशक के पूर्वार्ध के लगभग 50 प्रतिशत से अत्यधिक कम होकर 2018-19 में 15.4 प्रतिशत रह गई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

<u>उत्तर</u>

<u>कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेंद्र सिंह तोमर)</u>

(क) से (च): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

<u>वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने के संबंध में दिनांक 19 नवंबर, 2019 को लोकसभा में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं. 21 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित विवरण</u>

(क) एवं (ख): सरकार किसानों की समस्या से अवगत है और इस मुद्दे के समाधान के लिए सरकार ने 'किसानों की आय दोगुना करने' संबंधी मुद्दों की जांच करने और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनाई जाने वाली रणनीतियों की सिफारिश करने हेतु अप्रैल,2016 में एक अंतरमंत्रालयीन समिति का गठन किया है। समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सितंबर, 2018 में प्रस्तुत कर दी है और उसके बाद सिफारिशों की प्रगति की निगरानी और समीक्षा करने के लिए 23.01.2019 को एक अधिकार प्राप्त निकाय का गठन किया गया है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की स्कीमों/कार्यक्रमों के संबंध में किए गए प्रयासों के कारण क्योंकि ये किसानों की आय दोगुनी करने की भी रणनीति के अनुरूप हैं, कार्यदक्षता में सराहनीय सुधार देखे गए हैं जिससे कृषि क्षेत्र में सकारात्मक प्रभाव देख जा रहे हैं। इन नई स्कीमों और कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की पहलों के ब्यौरे **अनुबंध-I** पर हैं।

(ग) से (ड.): सरकार ने कतिपय अपवर्जन खंडों के अधीन 2 हैक्टेयर तक कृषि योग्य भू-धारक देश के सभी लघु और सीमांत किसानों के लिए 12 सितंबर, 2019 से प्रधान मंत्री किसान मान-धन योजना शुरू की है जिसका उद्देश्य उन्हें सामाजिक सुरक्षा नेट मुहैया कराना है क्योंकि उनके पास वृद्धावस्था में मामूली या शून्य बचत होने और आजीविका के साधन समाप्त हो जाने की स्थिति में उन्हें सहयोग प्रदान करना है। इस स्कीम से लगभग 3 करोड़ कृषक परिवारों के लाभन्वित होने का अनुमान है। इस स्कीम द्वारा 60 वर्ष की आयु पूरी करने वाले पात्र किसानों को 3000/-रु. मासिक की न्यूनतम नियत पेंशन का भुगतान करने की व्यवस्था है। यह एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन स्कीम है जिसमें प्रवेश की आयु 18 से 40 वर्ष है। भू-जोत का होना पीएम-केएमवाई का मूल मानदंड है और इसलिए केवल वही किसान इस स्कीम के अंतर्गत लाभ के लिए पात्र हैं जिनके पास कृषि योग्य भूमि है, चाहे वह वास्तव में गांवों में रहते हों अथवा नहीं रहते हों। दिनांक 13.11.2019 की स्थिति के अनुसार कुल 18,29,469 किसानों ने इस स्कीम को अपना लिया है। स्कीम में शामिल हुए किसानों की राज्य/केंद्र शासित क्षेत्र-वार संख्या दर्शाने वाला विवरण **अनुबंध-II** पर संलग्न है।

(च): केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ), सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी किए गए अनुमानों के अनुसार, दिनांक 31 मई, 2019 को देश में सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) में कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों की हिस्सेदारी वर्ष 2018-19 के लिए मौजूदा मूल्यों पर 16.1 प्रतिशत थी। वर्ष 1951-52 में (मौजूदा मूल्यों पर) कुल अर्थव्यवस्था में कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों की हिस्सेदारी में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की हिस्सेदारी 50.07 प्रतिशत थी।

अनुबंध-I

वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने के संबंध में 19 नवम्बर, 2019 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने के लिए नियत तारांकित प्रश्न संख्या 21* के भाग (क) एवं (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

नई स्कीमें और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की नई पहलें

किसानों की आय दोगुनी करने संबंधी समिति (डीएफआई) ने उन्नति के सात प्रमुख स्रोतों की पहचान की है जो निम्नलिखित हैं:-

1. फसल उत्पादकता में सुधार
2. पशुधन उत्पादकता में सुधार
3. उत्पादन लागत में बचत के लिए संसाधनों का दक्षतापूर्ण उपयोग
4. फसलन सघनता में बढ़ोत्तरी
5. उच्च मूल्य फसलों के प्रति विविधीकरण
6. किसानों को प्राप्त होने वाले वास्तविक मूल्य में सुधार
7. फार्म से गैर-फार्म व्यवसायों में अंतरण

उन्नति के सात स्रोतों के अलावा, डीएफआई समिति ने तीन प्रमुख स्तंभों की सिफारिश भी की है। ये निम्नलिखित हैं:-

(क) (1) **<u>उत्पादकता लाभ</u>**

(क) वर्ष 2009 से वर्ष 2014 तक की अवधि में खाद्यान्नों का औसत वार्षिक उत्पादन 248.81 मिलियन टन था जबकि वर्ष 2014 से 2019 की अवधि में औसत उत्पादन में 8.40 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई और वह 269.72 मिलियन टन हो गया।

(ख) वर्ष 2009 से 2014 तक की अवधि में दलहन का औसत वार्षिक उत्पादन 17.52 मिलियन टन था जबकि वर्ष 2014 से 2019 की अवधि में इसके औसत उत्पादन में 20.31 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई और वह 21.08 मिलियन टन हो गया।

(2) **<u>उच्च मूल्य फसलों के प्रति विविधीकरण</u>**

(क) वर्ष 2009 से 2014 तक की अवधि में बागवानी फसलों का औसत वार्षिक उत्पादन 253.4 मिलियन टन था जबकि वर्ष 2018 से 2019 की अवधि में औसत उत्पादन में 17.86 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई और वह 298.67 मिलियन टन हो गया।

(ख) मधुमक्खी पालन मिशन हाल में ही शुरू किया गया है। वर्ष 2009 से 2014 तक की अवधि में मधु का उत्पादन 351.95 हजार मीट्रिक टन था जबकि वर्ष 2014 से 2019 की अवधि में यह 488.93 हजार मीट्रिक टन हो गया जो 38.92 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी था।

(ग) विविधीकरण के हिस्से के रूप में पशुपालन, डेयरी, मात्स्यिकी आदि का प्रोन्नयन किया जा रहा है।

(ख) किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना

(क) मंडी सुधार

(i) मॉडल एपीएमएल अधिनियमः सरकार विपणन सुधार के पक्ष में हैं ताकि किसान को अपनी उपज को बेचने के लिए वैकल्पिक चैनल मिल सकें। पारदर्शिता, बाधारहित कृषि मंडी को बढ़ाना देने के साथ ही प्रतिस्पर्धी विपणन चैनलों के अनेक विकल्पों के द्वारा किसानों को बेहतर मूल्य दिलाने के उद्देश्य से सरकार ने मॉडल अधिनियम "कृषि उपज और पशुधन विपणन (प्रोन्नयन और सहजीकरण) अधिनियम, 2017" जारी किया है जिसे राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अपनाया जाना है।

(ii) ग्रामः केंद्रीय बजट घोषणा, 2018-19 के अनुसार सरकार ने ग्रामीण कृषि बाजारों को विकसित और मौजूदा 22000 ग्रामीण हाटों का स्तरोन्नयन करके उन्हें ग्रामीण कृषि बाजारों (ग्राम) का रूप देने की घोषणा की है जो सीधे किसानों से कृषि जिंसों की खरीद करके उनके लिए संग्रह केंद्रों के रूप में कार्य करेंगे।

(iii) निर्यात नीतिः- पहली बार सरकार द्वारा कृषि निर्यात नीति की घोषणा की गई है।

(iv) संविदा फार्मिंगः- सरकार ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अपनाए जाने के लिए मई, 2018 में प्रगतिशील एवं सुकरणीय मॉडल अधिनियम कृषि उत्पादन और पशुधन संविदा फार्मिंग और सेवाएं (प्रोन्नयन और सहजीकरण) अधिनियम, 2018 तैयार करके जारी किया है। यह मॉडल संविदा फार्मिंग अधिनियम उत्पादन-पूर्व से फसलोपरांत के समूचे मूल्य और आपूर्ति चैन को कवर करता है जिसमें कृषि उत्पादों और पशुधन के लिए सेवा संविदा को भी शामिल किया गया है।

(v) ई-नाम - 585 ई-नाम का सृजन किया गया है। यह कृषि विपणन के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम है। 1.65 किसान पहले ही इस पोर्टल में अनुरोधकर्ता बन चुके हैं।

(vi) एफपीओः बजट 2019-20 में 10000 एफपीओ तैयार किए जाने पर जोर दिया गया है।

(ख) उच्चतर एमएसपी और खरीदः- यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसान को अपनी उपज का उचित मूल्य प्राप्त हो, भारत सरकार ने 14 खरीफ फसलों के एमएसपी में 1.5 गुना की बढ़ोत्तरी की है। वर्ष 2009-14 के दौरान केवल 7.24 लाख मीट्रिक टन दालें और तिलहन की खरीद की गई थी जबकि 2014-19 की अवधि के दौरान मूल्य समर्थन स्कीम के तहत 91.47 लाख मीट्रिक टन की खरीद की गई।

(ग) उत्पादन लागत में कमीः-

(क) मृदा स्वास्थ्य कार्डः पहले चक्र (2015-17) में 10.73 करोड़, दूसरे चक्र (2017-19) में 11.34 करोड़ अर्थात् कुल 22.07 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन स्कीम के तहत 2009-14 की अवधि के दौरान 171 प्रयोगशालाओं की तुलना में 10,825 मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं को अनुमोदन प्रदान किया गया अर्थात् 63 गुणा की वृद्धि हुई। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद ने "भारत में मृदा स्वास्थ्य कार्ड के शीघ्र वितरण के लए मृदा परीक्षण अवसंरचना" पर एक अध्ययन किया है और अपनी रिपोर्ट 2017 में प्रस्तुत कर दी है और सूचित किया है कि 8 से 10 प्रतिशत के रेंज में रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग में कमी आई है और फसलों की उपज में समग्र बढ़ोत्तरी 5 से 6 प्रतिशत की है, जो मृदा स्वास्थ्य कार्डों में की गई सिफारिशों के अनुसार उर्वरकों और सूक्ष्म पोषक तत्वों के उपयोग के कारण थी।

(ख) प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई): वर्ष 2009 से 2014 की अवधि में 29.01 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत लाया गया जबकि वर्ष 2014 से 2019 की अवधि में यह 40.45 लाख हेक्टेयर था।

(ग) कृषि यंत्रीकरण के हिस्से के रूप में वर्ष 2009 से 2014 की अवधि के दौरान 1012904 मशीनों का वितरण किया गया जबकि वर्ष 2009 से 2014 की अवधि के दौरान 2925403 मशीनें वितरित की गई, इस प्रकार इसमें 188 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई।

डीएफआई रिपोर्ट के हिस्से के रूप तीन और समर्थन स्तंभों की सिफारिश की गई हैः-

(क) जोखिम प्रबंधनः-

(क) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई): वर्ष 2012 से 2014 की अवधि में 6.66 करोड़ किसानों को बीमा कवर के दायरे में लाया गया जबकि वर्ष 2016 से 2018 की अवधि के दौरान 11.06 करोड़ किसानों को बीमा कवर के दायरे में लाया गया- इस प्रकार इसमें 66 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई। वर्ष 2012 से 2014 की अवधि में गैर-ऋणी किसानों का कवरेज 0.29 करोड़ था जो वर्ष 2016 से 2018 की अवधि में बढ़कर 2.78 करोड़ हो गया, जिससे इसमें 859 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई। वर्ष 2012 से 2014 की अवधि में ऋणी किसानों का कवरेज 6.37 करोड़ था जो वर्ष 2016 से 2018 की अवधि में बढ़कर 8.29 करोड़ हो गया, जिससे इसमें 30 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई। वर्ष 2012 से 2014 की अवधि में बीमित राशि 1.53 लाख करोड़ थी जो 2016 से 2018 की अवधि में बढ़कर 4.10 लाख करोड़ रूपए हो गई।

(ख) फसल को होने वाली फसलोपरांत हानियों की सूचना (जो फसल कटाई से अधिकतम दो सप्ताह के भीतर दी जानी होती है), जिन फसलों को खेत में ही काटकर फैलाया और सुखाया जाता है उसके बाद बंडल बनाया जाता है उनके संबंध में ओलावृष्टि, तूफान, तूफानी बरसात और गैर-मौसमी बरसात के बारे में किसान द्वारा या सीधे बीमा कंपनी, संबंधित बैंक, स्थानीय कृषि विभाग, सरकारी/जिला अधिकारियों को या मुफ्त टॉल नम्बर से प्रदान की जाए।

(ग) वर्ष 2009 से 2014 की अवधि में कृषि ऋण का भुगतान 2701 लाख करोड़ रूपए था जबकि 2014 से 2019 की अवधि के दौरान यह 52.50 लाख करोड़ था, इस प्रकार इसमें 94 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई।

(घ) 31 मार्च, 2014 तक 3.80 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए जबकि 30 सितम्बर, 2019 तक 7.03 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए है।

(ङ) केसीसी की सुविधा पशुपालन और मत्स्य किसानों को भी दी जाएगी।

ख. जैविक खेतीः- इसे पहली बार 2014 में परम्परागत कृषि विकास योजना और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए मिशन जैविक मूल्य चैन (एमओवीसीडीएनईआर) और अपेडा द्वारा तृतीय पक्ष प्रमाणीकरण के तहत बढ़ावा दिया गया और देश में जैविक खेती के दायरे में कुल क्षेत्रफल 27.70 लाख हैक्टेयर है।

ग. किसानों के लिए कल्याण स्कीमें

(क) पीएम किसान

देशभर के सभी कृषक परिवारों को आय समर्थन प्रदान करने ताकि वे कृषि और संबद्ध कार्यकलापों से संबंधित खर्चों का वहन कर सकें और साथ ही अपनी घरेलू जरूरतों भी पूरी कर सके, केंद्र करकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) नाम की एक नई केंद्रीय क्षेत्र की योजना शुरू की है। इस स्कीम का उद्देश्य कृषक परिवारों को 2000/- रू के तीन चतुर्मासिक किस्तों में 6000/- रू. वार्षिक का भुगतान करना है जो उच्चतर आय समूहों से संबंधित कतिपय अपवर्जनों के अधीन होगा।

(ख) पीएम-के एम वाई:-

सरकार ने देश में 2 हैक्टेयर तक कृषि योग्य भूमि धारक सभी लघु और सीमांत किसानों के लिए 12 सितम्बर, 2019 से प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना (पीएमकेएसवाई) नामक एक पेंशन योजना शुरू की है, जो कतिपय अपवर्जन खंडों के अधीन होगी इसका उद्देश्य उन्हें सामाजिक सुरक्षा नेट के दायरे में लाना है क्योंकि वृद्धावस्था के समय उनके पास मामूली या शून्य बचत होती है और बाद में आजीविका के साधन समाप्त हो जाने पर उन्हें इससे सहयोग मिलेगा। इस स्कीम से लगभग 3 करोड़ किसान परिवारेां को लाभान्वित किए जाने की संभावना है। इस स्कीम में 60 वर्ष की आयु पूरी करने पर पात्र किसानों को 3000/- रूपए मासिक की न्यूनतम नियत पेंशन के भुगतान की व्यवस्था है। यह एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन स्कीम है, इसमें शामिल होने की आयु 18 से 40 वर्ष है। भूजोत का होना पीएम-के एम वाई के लिए बुनियादी शर्त है और इसलिए केवल वही किसान इस स्कीम के तहत लाभ के पात्र होंगे जिनके पास कृषि योग्य भूमि है चाहे वे वास्तव में गांवों में रहते है अथवा नहीं। 31.11.2019 की स्थिति के अनुसार कुल 18,29,469 किसान इस स्कीम में शामिल हो चुके है।

इसके अतिरिक्त इस सैक्टर की उन्नति के लिए कई अन्य कदम उठाए जा रहे हैं:-

(क) वर्ष 2009 से 2014 की अवधि के लिए बजट आवंटन 121082 करोड़ रूपए था जबकि वर्ष 2014 से 2019 की अवधि के लिए यह 211694 करोड़ रूपए है जो 74.8 प्रतिशत की बढ़ोतरी है।

(ख) केवल 2019-20 के लिए बजट आवंटन 138564 करोड़ रूपए है जो 5 वर्षों (2009-14) के पूरे बजट प्रावधान 121082 करोड़ रूपए से 14.44 प्रतिशत अधिक है।

अनुबंध -II

वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने के संबंध में 19 नवम्बर, 2019 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या 21* के भाग (ग) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध ".

पीएम-केएमवाई के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार पंजीकरण के आंकड़े

राज्य	पंजीकरण
हरियाणा	400604
झारखंड	241971
बिहार	240854
उत्तर प्रदेश	238248
छत्तीसगढ़	198344
ओडिशा	136319
तमिलनाडु	94519
महाराष्ट्र	72556
गुजरात	61458
मध्य प्रदेश	51727
आंध्र प्रदेश	30077
कर्नाटक	29815
राजस्थान	27934
पंजाब	11559
तेलंगाना	7267
असम	5014
हिमाचल प्रदेश	2345
अरूणाचल प्रदेश	2043
पश्चिम बंगाल	1894
उत्तराखंड	1562
केरल	751
नागालैंड	704
चंडीगढ़	528
अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	519
जम्मू-कश्मीर	435
त्रिपुरा	386
दादर व नगर हवेली	159
गोवा	136
दमण व दीव	118
मणिपुर	117
दिल्ली	89
पुदुच्चेरी	87
मिजोरम	84
लक्षद्वीप	71
मेघालय	26
सिक्किम	23
कुल	**1829469**